रक्षा सम्पदा संगठन
Defence Estates Organisation

Web: www.cbmathura.org
Email: cbmathura@dgest.org
Phone: 0565-2470178
Fax: 0565-2471623

छावनी परिषद, मथुरा
CANTONMENT BOARD, MATHURA

Old Sister Mess Road, Near Regimental Bazar, Mathura Cantt-281001 (U.P.)

पत्रांक : छा.प.म. / आर.टी.आई–05 / 542 / 448 दिनांक: 31 जुलाई, 2018

श्री बृहमकान्त भू0 पू0 सैनिक
निवासी सी 1 नटवर नगर धौलीप्याऊ,
मथुरा।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत सूचना मांगने के सम्बन्ध में।

यह आपके आवेदन दिनांक 28.06.2018 (जोकि इस कार्यालय में दिनांक 02.07.2018 को प्राप्त हुआ है) सूचना की मांग के अनुरोध के प्रसंग मे हैं।

2. उपरोक्त संदर्भित आवेदन में मांगी गयी अंश सूचना का विवरण निम्न प्रकार है:–

बिन्दु 1 व 6 उक्त क्षेत्र पूर्व से ही मथुरा छावनी की सीमा में सन् 1932 में गजट नोटिफिकेशन सं0 1570/XI-10C दिनांक 19.05.1932 व 2095-A/IX-10-C-31 दिनांक 29.09.1937 के द्वारा सम्मिलित है। उक्त क्षेत्र मे रेलवे कालोनी सन् 1983 मे विकसित हुयी है। उक्त कालोनी का ले–आउट प्लान छावनी परिषद द्वारा दिनांक 10.06.1983 को स्वीकृत किया गया है।

बिन्दु 3 व 4 उक्त बिन्दुओं मे मांगी गयी जानकारी तृतीय पक्ष से सम्बन्धित है। अतः उक्त अधिनियम के प्रावधानोसार इसका प्रगटन नहीं किया जा सकता।

बिन्दु 7 उक्त बिन्दु मे मांगी गयी जानकारी इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।

बिन्दु 9 व 10 इस परिषद द्वारा स्वीकृत रेलवे कालोनी के ले–आउट की प्रति वास्तविक बाजार मूल्य अदा कर प्राप्त की जा सकती है।

शेष बकाया बिन्दुओं मे मांगी गयी जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(f) के अन्तर्गत नहीं आती है। इस सम्बन्ध में कृपया केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली का हाल ही मे दिया गया निर्णय दिनांक 25.07.2018 फाइल सं0 CIC/ARMY/A/2017/146364/SD (जो कि आपके द्वारा अपने पूर्व के इसी तरह के आवेदन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली मे दायर अपील में दिया गया है), का अवलोकन करें।

3. उपरोक्त सन्दर्भ में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अपील, यदि कोई है, इसकी प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय के अपीलीय अधिकारी श्री नीरज जैन, मुख्य अधिशासी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

देवेन्द्र सिंह
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005